

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिविजन) गौतमबुद्धनगर।

मूलवाद संख्या - 445 सन् 2020

CNR Number:- UPGB05-010344 -2020

सुपर 2क लिमिटेड

(वादी)

बनाम

कंपाउन् एशोसियेशन आफ अपार्टमेंट्स

(प्रतिवादी)

वाद संस्थित दिनांक : 02.10.2020

वाद का प्रकार : निषेधाज्ञा

वाद का मूल्यांकन : 50 लाख के

भुगतान किया गया न्यायशुल्क : 1000.00 के

अधिवक्ता वादी श्री : राधिका कुमार

अधिवक्ता प्रतिवादी श्री :

02.09.2020 वाद प्रस्तुत हुआ। सुना तथा मुसरिम आख्या का अवलोकन किया।
वाद पंजीकृत हो।

प्रतिवाद को सम्मन वास्ते प्रतिवाद-पत्र जारी हो। प्रदिवाद आदेश-5
नियम-1 में वर्णित अवधि से पूर्व प्रतिवाद-पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली प्रतिवाद-पत्र दिनांक 21.10.2020 व तनकी हेतु दिनांक 28.10.2020 को पेश हो। वादी
उपरोक्त के सम्बंध में आवश्यक पैरवी उभय प्रकार से अन्दर सप्ताह करे।

पत्र पत्र - 651²

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)
गौतमबुद्धनगर

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गौतमबुद्धनगर।

मूलवाद संख्या-445 सन् 2020

सुपरटैक लिमिटेड

बनाम

कैपटारुन एसोसिएशन आफ अपार्टमेंट आर्नस

दिनांक-02-09-2020

पत्रावली पेश हुई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से प्रार्थना पत्र 6ग पर सुना गया।

संक्षेप में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र 6ग में वादी कथानक है कि वादी एक पंजीकृत कम्पनी है जो आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के निर्माण एवं विक्रय का कार्य करती है। वर्ष 2010 में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉट 1/ए सैक्टर-74 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर आवंटित किया था, जिस पर वादी द्वारा वर्ष 2010 में ग्रुप हाउसिंग स्कीम लागू की गयी। वादी द्वारा नियमानुसार नक्शा पास कराकर कैपटारुन के नाम से आवासीय फ्लैट का निर्माण प्रारम्भ किया एवं 60 प्रतिशत से कम लोगों द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण स्वामित्व एवं रख रखाव का संवर्धन) अधिनियम 2010 की धारा 14 (2) के अन्तर्गत 33 प्रतिशत से अधिक लोगों का कब्जा किसी भी अपार्टमेंट ऑफ एसोसिएशन के लिए आवश्यक है। जिसमें संशोधन पश्चात् 33 को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके बावजूद विधि विरुद्ध तरीके से कैपटारुन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट का पंजीकरण हुआ एवं पंजीकरण के समय अपार्टमेंट स्वामियों द्वारा प्रमोटर के बिना आवेदन किया गया। जबकि नियमानुसार समस्त फेज का पूर्ण निर्माण होने अथवा 60 प्रतिशत आवंटियों द्वारा कब्जा प्राप्त करने पर प्रमोटर ही कामन एरिया का रख रखाव करेगा एवं विधि पूर्ण तरीके से बनी हुई एसोसिएशन को ही कामन एरिया का मैनटेनेंस हेतु हैन्ड ओवर करेगा। विदित हो कि इस सम्बन्ध में दिनांक-16-07-2019 को डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा आर्दश उप विधि के व्यवस्था के अनुसार 60 दिवस में निर्वाचन सम्पन्न कर अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया था। जिसका अनुपालन नहीं किया गया। विदित हो कि विपक्षी एसोसिएशन का कार्यकाल 02-03-2020 को समाप्त हो चुका है। जिसके उपरान्त कोई अधिकार उक्त एसोसिएशन को किसी कार्यवाही करने का वर्तमान में प्राप्त नहीं है, न ही उसका कोई कानूनी अस्तित्व है। सोसाइटी के कुछ लोगों द्वारा पत्र दिनांक-20-07-2020 के माध्यम से डिप्टी रजिस्ट्रार को इसकी लिखित शिकायत भी की है। तथा रजिस्ट्रार महोदय को ईमेल लिखकर पदाधिकारियों के कार्यकाल पूर्ण होने तथा चुनाव कराये जाने की मांग भी की है। प्रतिवादी विधिक विरुद्ध तरीके से वादी पर दबाव बनाकर एवं प्रशासन से साज करके कामन एरिया मैनटेनेंस कब्जाना चाहता है। तथाकथित एसोसिएशन द्वारा सोसाइटी में निवासरत लोगों को बहलफुसला कर वादी के खिलाफ दुष्प्रचार प्रारम्भ कर दिया है तथा स्वयं को पदाधिकारी बताते हुए वादी को मैनटेनेंस अदा न करने की नियत से वादी को कामन एरिया स्वयं को हैन्डओवर करने के लिए दबाव बना रहे है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर सोसाइटी सुपर टैक के कामन एरिया मैनटेनेन्स की बावत किसी प्रकार का हैन्डओवर प्राप्त करने अथवा मांग करने से निषेधित किया जाए।

वादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी सूची 8ग से सोसाइटी

2/29/20

पंजीकरण प्रमाण पत्र, डिप्टी रजिस्टार पत्र दिनांक-21-06-2019, कैपटाऊन निवासीगण द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 20-07-2020, नोएडा एर्थोटी को प्रेषित पत्र, डिप्टी रजिस्टार कार्यालय आदेश दिनांकित 16-07-2019 आदि प्रस्तुत किये है। जिनके अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एसोसिएशन का चुनाव दिनांक-03-03-2019 को होकर उसका कार्यकाल 2 मार्च 2020 को समाप्त हो चुका है। वर्तमान चयनित एसोसिएशन पर वादी को आपत्ति है जबकि कार्यालय डिप्टी रजिस्टार के प्रपत्र एवं आदेश दिनांकित 16-07-2019 के अवलोकन से विदित होता है कि यू0पी0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 की आदर्श उपविधि में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ए0ओ0ए0 के बोर्ड ऑफ एसोसिएशन का निर्वाचन लम्बित है। वादी को अंदेशा है कि विपक्षी एसोसिएशन बिना कोई विधिक अस्तित्व के सोसाइटी को कामन एरिया मेनटेनेन्स को अविधिक प्रकार से प्राप्त कर सोसाइटी के विधि पूर्ण रख रखवाव व मेनटेनेन्स में व्यवधान उत्पन्न करेगी। जबकि वर्तमान में विधिक अधिकार वादी का है। अतः स्थिति उपरोक्त में नियत दिनांक-तक पक्षकार को कथित सोसाइटी के कामन एरिया के बावत् यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति सुपरटैक कैपटाऊन के कामन एरिया मेनटेनेन्स के हेडओवर के बावत् यथा स्थिति बनाये रखें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पैरवी विहित अवधि के भीतर करना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी को उभयप्रकार से नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते गुण-दोष निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग[ं] दिनांक-30-09-2020 को पेश हो।

445 / 2020
दिनांक-04-09-2020

Waj 20
सिविल जज सी0डि0
गौतमबुद्धनगर।

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 22ग[ं] प्रस्तुत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 22ग[ं] पर बल दिया गया। सुन्म व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 22ग[ं] वास्ते अमीन प्रस्तुत किया गया। ऐसी दश में प्रार्थना पत्र 22ग[ं] स्वीकार करते हुए अमीन कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह वाद पत्र के आलोक में विवादित सम्पत्ति का कमीशन कर स्केली मानचित्र पर अपनी आख्या तैयार कर नियत तिथि दिनांक-30-09-2020 तक प्रस्तुत करे। वादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें। बाद पैरवी अमीन को परताना जारी हो।

W
सिविल जज सी0डि0
गौतमबुद्धनगर।

7.9.2020
बाद पेश हुआ। कौटिल्य जिला :- 4/9/2020
उपरोक्त के प्र. पत्र 23 ग[ं] में शपथ
24 ग[ं] तक शपथ 25 व म पत्रावली पेश
हुआ। पत्रावली पर सुनिल किया।
पत्रावली निम्न विधि से पेश है।
(5/50)



पृष्ठ
3

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) महोदय जिला गौतमबुद्धनगर

मूल वाद संख्या

445

सन् 2020

सुपरटैक लिमिटेड सुपरटैक, ई स्कायर प्लाट नंबर सी-2, सैक्टर 96, नोयडा, गौतम बुध नगर, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति श्री विकास त्यागी

प्रार्थी/वादी

कैपटाउन एशोसियेशन आफ अपार्टमेन्ट्स आनर्स प्लाट नंबर 01/ए, सैक्टर 74 नोयडा जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा अध्यक्ष/सचिव

विपक्षी/प्रतिवादी

वादी निम्न निवेदन करता है -

1. यह कि वादी कंपनी एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है जोकि आवासीय सोसायटी एवम् व्यवसायिक भवनो के निर्माण एवम् विक्रय का कार्य करती है। वादी कंपनी की ओर से श्री विकास त्यागी बोर्ड आफ डारेक्टर के प्रस्ताव तारीखी 20/08/2020 के माध्यम से वर्तमान वाद को दायर करने, शपथ पत्र देने तथा अन्य सभी कार्य करने जोकि वर्तमान वाद के लिये आवश्यक है, को करने के लिये प्राधिकृत है।
2. यह कि वादी वर्ष 2010 मे नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट नंबर 01/ए सैक्टर 74 नोयडा जिला गौतमबुद्धनगर आवंटित किया गया था जिस पर वादी द्वारा वर्ष 2010 मे ग्रुप हाऊसिंग स्कीम लांच की गयी जिसमे वादी द्वारा हाई राईज फ्लैट्स एवम् व्यवसायिक यूनिट्स का निर्माण किया जाना था।
3. यह कि वादी को आवंटित प्लाट कुल 3,20,036.59 स्केयर मीटर है जिसमे वादी द्वारा नियमानुसार नक्शा पास कराकर कैपटाउन के नाम से आवासीय फ्लैट्स का निर्माण करना प्रारंभ किया।
4. यह कि संपूर्ण कैपटाउन पर कुल 8,130 फ्लैट्स का निर्माण हो चुका है जिसमे से 2,754 आवंटियो द्वारा कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। अर्थात 60 प्रतिशत से कम लोगो द्वारा कब्जा प्राप्त किया है।
5. यह कि यू पी अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व एवम् रखरखाव का संवर्धन) अधिनियम 2010 के अंतर्गत किसी भी अपार्टमेन्ट आफ एशोसियेशन के रजिस्ट्रेशन के लिये की एक्ट की धारा 14(2) के अंतर्गत 33 प्रतिशत से अधिक लोगो का कब्जा प्राप्त किया जाना कानूनन अति आवश्यक है।
6. यह कि जिसमे बाद मे उत्तर प्रदेश सरकार के गजट संख्या 144/79-वि-1-16-1(क)-24-2016 तारीखी 19.09.2016 के माध्यम से एक्ट की धारा 14(2) मे संशोधन किया तथा 33 प्रतिशत को

(Signature)

प्लॉट
4

- बढाकर 60 प्रतिशत कर दिया अर्थात 60 प्रतिशत लोगो का कब्जा प्राप्त किया जाना आवयस्क है जिसके अभाव मे सोसायटी पंजीकृत नही हो सकती है।
7. यह कि वर्तमान मे ईको विलेज प्रथम मे 60 प्रतिशत से कम लोगो द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है जिस कारण कानूनन अपार्टमेन्ट आनर्स एशोसियेशन का निर्माण एवम् पंजीकरण संभव नही है किन्तु इसके बाबजूद विधि विरुद्ध तरीके से कैप टाऊन एशोसियेशन आफ अपार्टमेन्टस आनर्स प्लॉट नंबर 01/ए सैक्टर 74 नोयडा जिला गौतमबुद्धनगर का पंजीकरण हुआ है तथा जिसका पंजीकरण नंबर GBN/03245/2019-2020 है।
 8. यह कि यू पी अपार्टमेन्ट एक्ट की धारा 14(2) के अनुसार प्रमोटर एवम् अपार्टमेन्ट स्वामियो के संयुक्त दायित्व के द्वारा ही अपार्टमेन्ट आफ एशोसियेशन के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया जाता है जोकि 60 प्रतिशत कब्जे के बाद ही आवेदन किया जा सकता है किन्तु प्रतिवादी एशोसियेशन के निर्माण/पंजीकरण के समय अपार्टमेन्ट स्वामियो द्वारा कभी भी प्रमोटर को विश्वास मे नही लिया गया तथा प्रमोटर के बिना आवेदन किया गया।
 9. यह कि यू पी अपार्टमेन्ट एक्ट की धारा 7.1 के अनुसार समस्त फेज का निर्माण पूर्ण हो जाने अथवा 60 प्रतिशत आवंटियो द्वारा कब्जा प्राप्त करने तक प्रमोटर ही सोसायटी के कामन एरिया का रखरखाब करेगा।
 10. यह कि इसके अतिरिक्त प्रमोटर (वादी) द्वारा विधि पूर्ण तरीके से बनी हुई एशोसियेशन को ही कामन एरिया की मेन्टीनेन्स हेण्ड ओवर करेगा। चूकि प्रतिवादी एशोसियेशन विधि पूर्ण तरीके से नही बनी हुई है तथा यू पी अपार्टमेन्ट एक्ट के प्रावधानो का पालन नही हुआ है जिस कारण प्रमोटर ही कामन एरिया की मेन्टीनेन्स करने के लिये बाध्य है।
 11. यह कि वादी हमेशा कानून के दायरे मे एशोसियेशन के निर्माण मे सहयोग करने के लिये तैयार तत्पर एवम् इच्छुक रहा है किन्तु प्रतिवादी एशोसियेशन का निर्माण विधि विरुद्ध तरीके से हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय द्वारा दिनांक 16/07/2019 को एक आदेश जारी कर इस तथाकथित असोसिएशन के उत्तर प्रदेश अप्पार्टमेन्ट एक्ट 2010 की आदर्श उपविधि व्यवस्था के अनुसार 60 दिवस में निर्वाचन संपन्न कर अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया परन्तु इस आदेश का अनुपालन भी तथाकथित असोसिएशन ने नही किया। परन्तु इस एसोसिएशन (तथाकथित) की पूर्ण रचना ही शंकापूर्ण है।
 12. यह कि इसके अतिरिक्त विपक्षी एशोसियेशन का कार्यकाल दिनांक 02.03.2020 को समाप्त हो चुका था अर्थात दिनांक 03.03.2019 को गठित कार्यकारिणी का कार्यकाल दिनांक 02.03.2020 को

Ayam

40/5

समाप्त हो चुका था तथा इसके बाद से कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को किसी प्रकार से कोई अधिकार एशोसियेशन को चलाने अथवा उसके आधार पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने अथवा किसी प्रकार का कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं रह गया था तथा कार्यकारिणी दिनांक 03.03.2020 को भंग हो चुकी थी तथा उसका कानूनन कोई अस्तित्व नहीं था।

13. यह कि माननीय न्यायालय को यह भी अवगत कराना है कि कोविड 19 के कारण देश में लाकडाऊन की प्रक्रिया 22-23/03.2020 से प्रारंभ हुई थी तथा इससे पूर्व विपक्षी के पास पर्याप्त समय था कि वे समय से चुनाव कराकर नयी कार्यकारिणी को हैण्डओवर दे।
14. यह कि विपक्षी के तथाकथित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवम् सदस्यों की नीयत में खोट है जिस कारण उनके द्वारा येन केन रूप से वादी पर नाजायज रूप से दबाव बनाकर उससे नाजायज लाभ कमाना है तथा समस्त सोसाइटी/अपार्टमेंट स्वामियों के साझा हितों को जबरन कब्जा कर इन्हे प्रभावित करने का है।
15. यह कि विपक्षी द्वारा भी वर्तमान में किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं कराया है तथा न ही इस संबंध में किसी प्रकार की कोई अधिसूचना जारी की है जिस कारण सोसायटी के कुछ लोगों द्वारा पत्र तारीखी 20.07.2020 के माध्यम से डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखित में इसकी शिकायत भी की है।
16. यह कि प्रतिवादी के कृत्यों से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संपूर्ण निवासियों की तरफ से वर्तमान दावा सामूहिक हितों की सुपुर्दगी को दायर करने के लिये अधिकृत है। परिवादी द्वारा ऐसे प्रस्ताव की कापी दाखिल नहीं की है जिससे स्पष्ट हो सके कि परिवादी एशोसियेशन की जनरल बाडी की मीटिंग हुई है तथा जनरल बाडी द्वारा आवश्यक/निर्धारित बहुमत से प्रस्ताव पारित कर प्रतिवादी को वर्तमान दावा योजित करने के लिये अधिकृत किया हो। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को वर्तमान वादी के समक्ष सामूहिक हितों की मांग को योजित करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि समस्त निवासियों ने जनरल बाडी की मीटिंग में एशोसियेशन के पक्ष में अपनी सहमति दी हो अतः प्रथम दृष्टया उसकी मांग व प्रस्तुत प्रत्यावेदन कानूनन पोषणीय नहीं है तथा प्रतिवादी अपने दावे को दायर करने व प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत नहीं है जिस कारण प्रतिवादी द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया शून्य है तथा वादी पर बाध्य नहीं है।
17. यह कि प्रतिवादी सोसायटी के सदस्यों की जानकारी में उक्त तथ्य आते ही सोसायटी निवासी नवीन चंद्र दुवे एडवोकेट द्वारा प्रतिवादी के तथाकथित पदाधिकारियों को ईमेल लिखकर उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाया तथा उनसे समस्त विवरण की मांग की किन्तु

अग्रणी

Uob
6

उनके पत्र पर विपक्षी के तथाकथित पदाधिकारियों द्वारा कोई जबाब नहीं दिया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा रजिस्ट्रार महोदय मेरठ को भी ईमेल लिखकर पदाधिकारियों के कार्यकाल के पूर्ण होने तथा चुनाव कराये जाने की मांग की तथा कार्यरत बाडी की लिखित में शिकायत भी की।

18. यह कि इसके अतिरिक्त सोसायटी के एक अन्य निवासी द्वारा भी प्रतिवादी द्वारा किये जाने वाले कार्य की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर जनरल बाडी के अनुमोदन की कापी मांगी किन्तु कोई कापी उपलब्ध नहीं करायी गयी।
19. यह कि कैपटाउन सोसायटी के निवासियों में इसकी जानकारी होते ही सोसायटी के अनेक निवासियों द्वारा दिनांक 13.08.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 को पत्र लिखकर प्रतिवादी को हैण्डओवर न देने की प्रार्थना की तथा लिखित में आपत्ति विधिवत रूप से दर्ज करायी।
20. यह कि प्रतिवादी की मंशा येन केन रूप से विधि विरुद्ध तरीके से वादी पर दबाव बनाकर एवम् प्रशासन से साज करके कामन एरिया मेन्टीनेन्स को कब्जा है।
21. यह कि प्रतिवादी की मंशा आपराधिक है।
22. यह कि कानूनन प्रतिवादी का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था जिस कारण उनके तथाकथित पदाधिकारियों को किसी प्रकार की एशोसियेशन के आधार पर कार्यवाही करने का अधिकार शेष नहीं रह जाता है।
23. यह कि वर्तमान में भी ईको विलेज प्रथम सोसायटी का रखरखाव वादी एवम् उसकी मेन्टीनेन्स कंपनी सुपरटैक एस्टेट प्रा0 लि0 हाल वाई जी एस्टेट फैसिलिटिस मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है तथा समस्त मेन्टीनेन्स चार्ज भी वादी द्वारा लिया जा रहा है। क्योंकि यह उसका विधिक कर्तव्य है तथा उसके द्वारा अपना विधिक दायित्व पूरा ना किए जाने पर वे कानून उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व, और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 की धारा 25 एवं 26 के तहत दाण्डिक अभियोजन का पात्र होगा।
24. यह कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व, और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 की धारा 29 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि:

धारा 29 :- शंकाओं का निराकरण

“शंकाओं के निराकरण के लिए एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम संख्या 4) के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत ना हो, किसी अपार्टमेंट के अंतरण पर उससे संबंधित सामान्य क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अविभाजित हित के साथ, जो ऐसे अपार्टमेंट स्वामी द्वारा दी गई हों, लागू होंगे, चाहे

Agarwal

कोर्ट
7

ऐसा अंतरण विक्रय, पट्टा बंधक, विनिमय, अथवा अन्यथा किया जाए,, जैसे वे किसी संपत्ति के अंतरण पर लागू होते हैं।

इस प्रकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान सामान्य क्षेत्रों एवं एवं सुविधाओं पर लागू होते हैं जहाँ इनके अंतरण पर शंका है। ऐसे में संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 39 धारा 47 धारा 52 धारा 53 के तहत विभिन्न शंकाएं इस अंतरण के संबंध में प्रभाव में आती हैं या आ सकती है। इस परिस्थिति में माननीय न्यायालय को धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इन शंकाओं के निराकरण तथा वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।


25. यह कि इसके अतिरिक्त सोसायटी के अनेक मैम्बर पर मैन्टीनेन्स चार्ज बकाया है जिनको मैन्टीनेन्स कंपनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भी प्रेषित कर दिया है अतः मैन्टीनेन्स की धनराशि के बकाया रहते हुये भी किसी प्रकार का हैण्डओवर संभव नहीं है।
26. यह कि इसके अतिरिक्त वादी द्वारा ही सोसायटी के समस्त कामन एरिया का रखरखाव किया जा रहा है उसके द्वारा ही प्लम्बर, बिजली मकैनिक इत्यादि को भुगतान किया जा रहा है।
27. यह कि प्रतिवादी का सोसायटी की मैन्टीनेन्स से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है वे न तो सोसायटी का रखरखाव कर रहे हैं तथा न ही किसी प्रकार का कोई भुगतान कर रहे हैं तथा न ही किसी प्रकार का कोई मैन्टीनेन्स चार्ज प्राप्त कर रहे हैं।
28. यह कि वर्तमान में तथाकथित एशोसियेशन के सदस्यों द्वारा सोसायटी में निवास कर रहे लोगो बहलाना व फुसलाना शुरु कर दिया है तथा उनको गुमराह करना शुरु कर दिया है एवम् वादी के खिलाफ दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया है जोकि मानहानिकारक है। उक्त लोगो द्वारा अपने आप को पदाधिकारी बताते हुये वादी को मैन्टीनेन्स न अदा करने के लिये दवाव बना रहे हैं तथा वादी पर नाजायज रूप से कामन एरिया मैन्टीनेन्स को हैण्डओवर करने के लिये दवाव बना रहे हैं तथा वादी को सोसायटी के रखरखाव करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
29. यह कि प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादी द्वारा सोसायटी के रखरखाव करने में बाधा उत्पन्न करे।
30. यह कि चूकि वर्तमान में दिनांक 02.03.2020 को पूर्व एशोसियेशन का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तथा उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं रह गया है तथा नयी एशोसियेशन का गठन ही हुआ है जिस कारण भी हैण्डओवर किया जाना संभव नहीं है।
31. यह कि इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नाजायज रूप से हैण्डओवर प्राप्त करने पर उतारु है।

अग्रणी

Urbt
8

32. यह कि प्रतिवादी बिना माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा के बाज आने के लिये तैयार नहीं है तथा बिना माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा के वादी के वाद दायर करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा।
33. यह कि वाद कारण बर्ष 2019 मे एशोसियेशन के पंजीकृत होने बादहू दिनांक 20.07.2020 को पत्र लिखकर चुनाव कराये जाने की मांग करने बादहू सोसायटी द्वारा प्रतिवादी व रजिस्ट्रार महोदय मेरठ को पत्र लिखने बादहू सोसायटी निवासियो द्वारा दिनांक 13.08.2020 को नोयडा आथर्टी को पत्र लिखकर हैण्डओवर न करने की प्रार्थना करने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उतपन्न हुआ है जिसे माननीय न्यायालय को सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
34. यह कि वाद का मूल्यांकन सोसायटी के मैन्टीनेन्स चार्ज की रकम लगभग 50 लाख रुपये पर कायम किया जाता है तथा निश्चित न्यायशुल्क अदा किया जाता है।
35. यह कि वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है -
- यह कि प्रतिवादी को माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा की डिक्री के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह वादी से प्लाट नंबर 01/ए सैक्टर 74 नोयडा जिला गौतमबुद्धनगर पर निर्मित सोसायटी सुपरटैक कैपटाऊन के कामन एरिया मैन्टीनेन्स की बाबत किसी प्रकार का हैण्डओवर प्राप्त करने अथवा हैण्डओवर करने की मांग करने से निषेधित रहे।
 - यह कि प्रतिवादी को माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा की डिक्री द्वारा निषेधित किया जाये कि वह स्वयं अथवा अपने सदस्यो, पदाधिकारियो, कर्मचारियो, एजेन्टो अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के माध्यम से वादी अथवा उसकी सहयोगी कंपनी सुपरटैक एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड हाल वाई जी एस्टेट फैसिलिटिस मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किये जाने वाले सोसायटी सुपरटैक कैपटाऊन प्लाट नंबर 01/ए सैक्टर 74 नोयडा जिला गौतमबुद्धनगर के रखरखाव/मैन्टीनेन्स मे किसी भी प्रकार से व्यवधान उतपन्न न करे।
 - यह कि वादी को प्रतिवादी से वाद व्यय एवम् अधिवक्ता शुल्क दिलाया जाये।
 - यह कि अन्य कोई अनुतोष जोकि माननीय न्यायालय की राय मे उचित हो वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाये।

सत्यापन - मैं वादी सत्यापित करता हूँ कि
उपरोक्त वाद का समस्त कथन मय विवरण
संपत्ति उपलब्ध रिकार्ड व विश्वास के आधार पर
सब सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है
ईश्वर मेरी मदद करे।

वादी

सुपरटैक लिमिटेड
द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति
विकास त्यागी

100/9

सत्यापन स्थान - गौतमबुद्धनगर

दिनांक ०२.०५.२०

द्वारा

Rishi
Rishi Kumar
Advocate
Distt. Court
Gautam Buddha Nagar
Mob. 98856 1010
एडवोकेट



5/12



न्यायालय श्रीमान सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) महोदय गौतमबुद्धनगर

मूल वाद संख्या

445

सन् 2020

क लिमिटेड

बनाम

Rishi केपटीअन एडमिडेशन आफ
केपटीअन एडमिडेशन आफ
अपार्टमेंट एंड अन्य

शपथ पत्र ओर से विकास त्यागी पुत्र श्री मांगे राम त्यागी, निवासी सी-16, स्ट्रीट-15, हिंडन विहार, सैक्टर-49, नोएडा।

मैं शपथ पूर्वक निम्न ब्यान करता हूँ -

1. यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सब सच व सही है तथा मैं होने प्राधिकृत व्यक्ति वादी कंपनी चाकिफ हाल तथ्य हूँ।
2. यह कि वाद पत्र मे दिये गये समस्त कथनो को शपथ पत्र का भाग मानकर पढा जाये जिनको दोबारा शपथ पत्र मे लिखना लिखना मात्र पुनरावृति होगी।
3. यह कि वाद पत्र मे लिखे गये समस्त कथनो को मैंने पढकर समझ लिया है तथा मैरे द्वारा पढकर व समझकर अपने हस्ताक्षर किये है जिनकी मै शिनाख्त करता हूँ।
4. यह कि शपथकर्ता अपने शपथ पत्र के साथ आवयश्क सुसंगत दस्तावेजो की छाया प्रति दाखिल कर रहा है जिन्हे इस शपथ पत्र का भाग मानकर पढा जाये।
5. यह कि शपथ पत्र की धारा 1 ता 4 का समस्त कथन, रिकार्ड, व जानकारी के आधार मे सब सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नही गया है ईश्वर मेरी मदद करे।

सत्यापन स्थान - गौतमबुद्धनगर

Ayansh
शपथकर्ता

दिनांक 02.09.20 in the Court of ... *C/S/O* G.B. Nagar
 Verified by S/W ... *Vikas*
 Identified by ... *Rishabh*
 S No *94* Date *2/9/20*
 Oath Commission G.B.A.

Rishu
 District Court, ...
 District Court, ...
 Court, ...
 Moh. ...

RASHMI
 Advocate
 Reg. No.- UP 08840/11
 Ch. No.- 619-621 Distt. Court, Surajpur
 G.B. Nagar, Mob. 9873682353



6512

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) महोदय गौतमबुद्धनगर

मूल वाद संख्या

445

सन् 2020

सुपरटैक लिमिटेड

बनाम

Rishi कैपटाउन एमालिडेशन *Rishi*
~~वायक अस्पिरिट लिमिटेड~~
आफ अपार्टमेंट आनर्ष

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी पी सी

श्रीमान जी,

वाद पत्र मे दिये गये तथ्यो एवम् संलग्न शपथ पत्र के आधार पर श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दौरान वाद प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का पारित किया जाये कि वह वह वादी से प्लाट नंबर 01/ए सैक्टर 74 नोयडा जिला गौतमबुद्धनगर पर निर्मित सोसायटी सुपरटैक कैपटाउन के कामन एरिया मैन्टीनेन्स की बाबत किसी प्रकार का हैण्डओवर प्राप्त करने अथवा हैण्डओवर करने की मांग करने से निषेधित रहे। वादी का अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुविधा का संतुलन भी वादी के हक मे है। वादी के हक मे स्टे आदेश पारित न होने से वादी को अपूर्णीय क्षति है।

दिनांक 02.09.20


वादी
Hari
सुपरटैक लिमिटेड

द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

द्वारा

Rishi एडवोकेट

Rishi Kumar Attal
Advocate
Distt. Court Surinagar
Cantonment
Mob. 888331 1119



752



न्यायालय श्रीमान सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) महोदय गौतमबुद्धनगर

मूल वाद संख्या

445

सन् 2020

सुपरटैक लिमिटेड

बनाम

लि. कपलान एंजिनियरिंग
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
आफ अफाटनेह आनर्ल

शपथ पत्र ओर से विकास त्यागी पुत्र श्री मांगे राम त्यागी, निवासी सी-16, स्ट्रीट-15, हिंडन विहार,
सेक्टर-49, नोएडा।

मैं शपथ पूर्वक निम्न ब्यान करता हूँ -

1. यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सब सच व सही है तथा मैं होने प्राधिकृत व्यक्ति वादी कंपनी वाकिफ हाल तथ्य हूँ।
2. यह कि वाद पत्र मे दिये गये समस्त कथनो को शपथ पत्र का भाग मानकर पढा जाये जिनको दोसरा शपथ पत्र मे लिखना लिखना मात्र पुनरावृति होगी।
3. यह कि वाद पत्र मे लिखे गये समस्त कथनो को मैंने पढकर समझ लिया है तथा मैंने द्वाारा पढकर व समझकर अपने हस्ताक्षर किये है जिनकी मैं शिनाख्त करता हूँ।
4. यह कि शपथकर्ता अपने शपथ पत्र के साथ आवयश्यक सुसंगत दस्तावेजो की छाया प्रति दाखिल कर रहा है जिन्हे इस शपथ पत्र का भाग मानकर पढा जाये।
5. यह कि शपथ पत्र की धारा 1 ता 4 का समस्त कथन, रिकार्ड, व जानकारी के आधार मे सब सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नही गया है ईश्वर मेरी मदद करे।

सत्यापन स्थान - गौतमबुद्धनगर

दिनांक 02.09.20

Verified by Sh/S...
Date 2/9/20
Dath Commissioner G.B.A

शपथकर्ता

Rishi

Rishi Kumar
Distt. Court Surajpur
Gautam Buddha Nagar
Mob. 9355...

RASHMI
Advocate

Reg. No.- UP/03840/11
Ch. No.- 619-621 Distt. Court, Surajpur
G.B. Nagar, Mob. 9813682353



AJAI TANDON & CO.

Mobile : 09936529111, 09918529111

E-mail : ajaitandon@atclawgroup.com

Website : www.atclawgroup.com

AJAI TANDON
Advocate

HIMANSHU TANDON
Advocate

SHEKHAR VYAS
Advocate

YASH TANDON
Advocate

SUNIL DIXIT
Advocate

ABHISHEK AWASTHI
Advocate

FROM DESK OF AJAI TANDON ADVOCATE SUPREME COURT, MEMBER AOA

**OPEN LETTER
TO
ALL OWNERS, TENANTS OF CAPETOWN**

Sub - Resignation

Sir,

I, Ajai Tandon, Advocate Supreme Court, President Imaandar Bhartiya Party respectfully wish to draw your kind attention of all of on following facts related to 'Apartment Owner Association' of Cape Town.

On 03.03.2019, Election of AOA was held, residents of Cape Town given me maximum votes and elected me as Member of AOA.

I am a busy Advocate, but chose to become part of AOA of Capetown as I fought through legal battle against builder, Noida authority and other institution. I will ensure solution of water, electric, parking problems.

From day one I requested AOA to allow me to file a writ petition in Allahabad High Court against all concerned on following issues -

1. Clear drinking / other use water for all.
2. Cost to cost electricity for all
3. No sale of open parking.
4. Rendition of accounts by Supertech from day one.
5. Handing over of maintenance

Offices

Kanpur : 117K/45, R. S. Puram, Sarvodaya Nagar, Kanpur - 208 025

Delhi : Plot No. 272, F. I. E. Industrial Area, Patparganj, Delhi - 110092

Mumbai : Flat No. 903, Hazel Nut Building, Hira Nandani, Meadows,
Vasant Vihar, Thane

Lucknow : B-1071, Indira Nagar, Lucknow

M. P. : Chandak Chambers, 1st Floor, Nariman Centre
Wright Town, Jabalpur

14572
P



AJAI TANDON & CO.

Mobile : 09936529111, 09918529111

E-mail : ajaitandon@atclawgroup.com

Website : www.atclawgroup.com

AJAI TANDON
Advocate

HIMANSHU TANDON
Advocate

SHEKHAR VYAS
Advocate

YASH TANDON
Advocate

SUNIL DIXIT
Advocate

ABHISHEK AWASTHI
Advocate

1452
2

6. Minimum maintenance charge
7. Other issues.

I have written more than 100 complaints to Prime Minister, Noida Authority, Ministers, Police Commissioner, Chief Minister against aforesaid problems.

11 Months have passed but top office bearers of AOA did not allow me to file Writ in Allahabad High Court.

Nothing has been done for the welfare or to redress problems of cape town residents.

Since I could not get support of any office bearers of AOA of Capetown, hence I have 'RESIGNED' from post of Member with immediate effect.

If residents are interested that I should file writ petition in Allahabad High Court to seek relief on aforesaid problems, then residents owner/may contact me on 9936529111, 9918529111, I will happily do the needful.

Date - 12/02/2020

(Ajai Tandon)

Advocate Supreme Court

President – Imaandar Bhartiya Party

Offices

Kanpur : 117K/45, R. S. Puram, Sarvodaya Nagar, Kanpur - 208 025
Delhi : Plot No. 272, F. I. E. Industrial Area, Patparganj, Delhi - 110092
Mumbai : Flat No. 903, Hazel Nut Building, Hira Nandani, Meadows,
Vasant Vihar, Thane

Lucknow : B-1071, Indira Nagar, Lucknow
M. P. : Chandak Chambers, 1st Floor, Nariman Centre
Wright Town, Jabalpur

क्षेत्रीय कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
विकास विहार, मोहनपुरी, मेरठ।

पत्रांक:

1190

1-पंजी0/मेरठ/दिनांक: 21-6-2019

श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमकार प्रसाद शर्मा,
सीएस-1/602, केपटाउन, सैक्टर-74,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषय:- केप टाउन एसोसियेशन ऑफ अपार्टमेन्ट ऑनर्स, सैक्टर-74, नोएडा,
गौतमबुद्धनगर के निर्वाचन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रश्नगत ए0ओ0ए0 के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार व
अन्य ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त दिनांक: 12.6.2019 को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है,
जिसमें मुख्यतः निम्न उल्लेख किया गया है-

- 1- The Co-owner was allowed for vote & contest in first AOA election against the law as applicable;
- 2- No Verification was done for such Co-owners;
- 3- Capetown project is having more than 5500 flats & they have not tried & approached any competent authority for appointment of a nodal officer;
- 4- Membership free has not been charged by the Builder under influence of some of the residents. The bye laws clearly states that without the membership free no residents will have the right to contest & vote in the election;
- 5- The allowed the representative of the nominated contestant to sit in the voting room who were constantly influencing the voters to vote their contestant;
- 6- So called election AOA panel called the first General Board Meeting of the society on a 2 day notice & have got the byelaws approved when less than 100 residents were present in the meeting.
- 7- Only 600 voters cast their vote due to shortage of time & poling both. Only one poling booth has been made by him.

पत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है
कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या साक्ष्यों/प्रमाणों सहित पत्र प्राप्ति
के 15 दिन के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथावत

पत्रांक:

1-तददिनांक:

प्रतिलिपि:- श्री विवेक कुमार व अन्य, सीबी 1-1605, केपटाउन, सैक्टर-74, नोएडा,
गौतमबुद्धनगर को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

डिप्टी रजिस्ट्रार

डिप्टी रजिस्ट्रार

1651

श्रीमान

श्रीमान विप्टी रजिस्ट्रार

एम्स, सोसाइटीज एंड चिटपत्र

मोहनपुरी, विकास नगर, मेरठ

विषय:- केप टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स के चुनाव की अधिसूचना जारी करने हेतु निवेदन
।
सहोदय .

हम निवासीगण केप टाउन सेक्टर -74, नोएडा निवेदन करते हैं कि हमारी सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव 3 मार्च 2019 को सम्पन्न हुए थे तथा एसोसिएशन का गठन किया गया था । अब उक्त एसोसिएशन का कार्यकाल 2 मार्च 2020 को समाप्त हो चुका है और कोरोना के प्रभाव के कारण चुनाव अधिसूचना के लिए हम में से कुछ लोगों ने आपको ई मेल द्वारा अधिसूचना जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था इसीक्रम में अब हम निवासीगण हस्ताक्षरित पत्र व्यक्तिगत रूप से आपके समक्ष इस आशय से प्रस्तुत कर रहे हैं कि चुनाव की अधिसूचना आपके द्वारा जारी की जा सके तथा चुनाव सम्पन्न हो सके ।

इसीक्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में केप टाउन में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड ओनर्स की संख्या लगभग 4600 के आसपास है जिसमें से महज 300 के आसपास ही लोगों ने 1000/- की सदस्यता ली है । चूंकि पिछले चुनाव में भी सदस्यता का ध्यान नहीं रखा गया था अतः इस चुनाव को भी पिछले चुनाव के आधार पर ही (रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड ओनर्स के वोट सहित) कराने की अधिसूचना जारी कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की कृपा करें ।

आपकी अति कृपा होगी ।

सधन्यवाद ।

प्रार्थी

निवासीगण

केप टाउन सेक्टर-74, नोएडा

1) MANIK DHAR

CM1/1108

20/07/2020

2) SHYAM SUNDAR SHIVRA

CM1/1105

20/7/2020

3) Vijeta Sharma

CM1/803

20/7/2020

GIN: U74899DL1995PLC074422

18/5/20




CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED IN THE MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF SUPERTECH LIMITED HELD ON THURSDAY, THE 20th DAY OF AUGUST, 2020 AT THE CORPORATE OFFICE OF THE COMPANY SITUATED AT PLOT NO-C-2, SUPERTECH E-SQUARE, SECTOR 96, NOIDA, UTTAR PRADESH-201303 AT 10:00 A.M.

AUTHORIZATION:

The Chairman informed the board that there was a need to authorise a specific person to represent the company before the various Courts/Tribunals/and to execute necessary agreement/MOU and allied documents regarding the handover the project to the residents/RWA and submit applications, certificates, declarations, affidavits and undertakings for and on behalf of company as and when required. All the members unanimously agreed to authorise Mr. Vikas Tyagi for the same and following resolution was passed:


"RESOLVED THAT Mr. Vikas Tyagi, AVP (Mall Operations) of the Company, be and is hereby authorized for and on behalf of the Company, to sign, verify and institute necessary agreement/MOU and allied documents regarding the handover the project(s) to the residents/RWA and submit applications, certificates, declarations, affidavits and undertakings or such other pleadings and sue, prosecute, defend all cases / petitions of both civil and criminal actions and proceedings in any civil, criminal and revenue Court / Tribunal of original or appellate jurisdiction /Forum or before any other competent authority for the said purpose and to take necessary steps and actions related with the said purpose."

Certified True Copy
For Supertech Limited


R.K. Arora
Director
DIN-00021491

.....
Specimen Signature of Mr. VikasTyagi

Attested by


R.K. Arora
Director
DIN-00021491

Supertech Limited

Regd. Office : 1114, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019
E-Square, Plot C-2, Floor 21-25, Sector-96, Noida-201303, Tel.: 0120-8520500 (30 Lines) | Web. : www.supertechlimited.com

2251

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गौतमबुद्ध नगर,
मूलवाद संख्या 445 सन् 2020

सुपरटैक लिमिटेड

बनाम

कैप्टाऊन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स ऑनर्स

प्रार्थना पत्र बाबत अधिवक्ता/अमीन कमीशन


श्रीमान जी,

अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद के निस्तारण के लिए वादग्रस्त सम्पत्ति की मौके की वर्तमान स्थिति पत्रावली पर आनी आवश्यक है जिसके लिए अधिवक्ता/अमीन कमीशन नियुक्त होना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि वाद में अधिवक्ता/अमीन कमीशन नियुक्त किया जाकर निम्न तथ्यों पर आख्या मंगायी जायें।

1. यह कि अधिवक्ता/अमीन साहब वादग्रस्त "प्लॉट संख्या 01/ए, सैक्टर 74 नौएडा जिला गौतमबुद्धनगर" ~~का~~ ^{की} ~~आख्या~~ ~~दे~~ ~~दी~~ तथा वाद में वर्णित भौतिक स्थिति की आख्या दे।
2. यह कि अधिवक्ता/अमीन साहब मौके पर जाकर वादी व प्रतिवादी जो बताये उसे अपनी आख्या में नोट करें।
3. यह कि वादी जो बात मौके पर बताये को भी देखे व उस पर अपनी आख्या दें।

दिनांक:
4/9/20

वादी 

सुपरटैक लिमिटेड

द्वारा अधिवक्ता

Rishi Kumar Attri
Advocate
Distt. Court Surin
Court Bu Jdh Ngr
Mob. 9555666133

स्वीकृत अमीन का मसुदा
जारी हो वादग्रस्त सम्पत्ति
अवतारण मोतकन (अपनी
सिखा कमीशन वर माफ हो।
वादी प्रयोगागुणार पर
को 7 4/9/20

